IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सोशल मीडिया का मतदाताओं पर प्रभाव

जर्नादन दीक्षित, शोधार्थी
डॉ0 रीतू सिंह मीना, निर्देशिका
महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इनफार्मेशन टेक्नालोजी
सीतापुर रोडए पोस्ट.महर्षि विद्या मन्दिर, लखनऊ.226013

मुख्य शब्द . मतदाता, सोशल मीडियाए इंटरनेट, प्लेटफार्म, राजनैतिक दलए राजनेता, मताधिकार, सर्वे, निर्वाचन, ध्रुवीकरण।

शोध.आलेख सारांश:-

सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित एक ऐसा प्लेटफार्म हैए जिसका उपयोग आज के युग में तीव्रगामी गति से बढ़ रहा है। इस कारण इसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव से भारत के मतदाता भी प्रभावित हो रहे हैंए जिसका प्रभाव निर्वाचन परिणामों पर सीधा पड़ता है। आज के युग में प्रत्येक राजनीतिक दल व राजनेता सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का भरपूर दोहन कर रहे हैं और समय.समय पर अपने विचारोंए क्रियाकलापों को जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करते हैंए जिसके कारण मतदाताओं का राजनीतिक दलों व राजनेता के प्रति व्यवहार में परिवर्तन होता है। सोशल मीडिया सामूहिक नेटवर्किंग बेवसाइटों जैसे.फेसबुकए इंस्टाग्रामए माइस्पेसए ट्विटरए लिंकरए यू.ट्यूबए लिंकडइनए पिटरेस्टए साउडक्लाउडए टेलीग्राम आदि साइटों का इस्तेमाल करके विचार. विमर्शए सृजनए सहयोगए सपोर्टए भाषण और अभिव्यक्ति के आदर्शों को संरक्षित करके मतदाताओं के मध्य सरल व सुगम साधन सोशल मीडिया माध्यम है। आज शहरी व ग्रामीण प्रत्येक क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच व सस्ते मोबाइल हैण्डसेटों की उपलब्धता सोशल मीडिया के उपयोग को व्यापकता के साथ प्रसारित किया है। आज युवा वर्ग से लेकर प्रत्येक नागरिक इसका बेतहाशा प्रयोग कर रहा है। आज बच्चे भी इसके प्रयोग से अछूते नहीं हैंए जो एक राष्ट्र के लिये संवेदनशील समस्या है।

प्रस्तावना:.

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए निर्वाचन एक आवश्यक प्रक्रिया हैए जिसके द्वारा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी पसन्द के राजनीतिक दल व राजनेता को चुनते हैं। हमारे देश में पहले सीमित मताधिकार व्यवस्था थी। बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपना कर 21 वर्ष के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया। बाद में संविधान संशोधन करके 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आज देश के नये मतदाताओं को निर्वाचन की मुख्य धारा में सहभागी बनाने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा पंजीकरण करवाने व एक जागरूक मतदाता के कर्तव्यों का पालन करने के लिए जागरूकता लाने हेतु प्रचार.प्रसार की व्यवस्था सरकारों और निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही हैए

जिसके परिणामस्वरूप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके भारतीय नागरिक ऑनलाइनए ऑफलाइन तरीके से अपना पंजीकरण करवा कर चुनावों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव से मतदाता जागरूक होकर निष्पक्ष सुयोग्य राजनेता को जाति.पाति के बंधनों से ऊपर उठकर चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

मतदाता जागरूकता अभियानः. भारत में पिछले दशकों में मतदाताओं का व्यवहार सकारात्मक नहीं रहाए जिसके प्रमुख कारण.अशिक्षाए पिछड़ापनए लिंग भेदभावए जातिवादए क्षेत्रवादए भूगोलवाद आदि प्रमुख थे। वर्तमान समय में शिक्षा के प्रचार.प्रसार व सोशल मीडिया मंचों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर मतदाताओं में जागरूकता की अभिवृद्धि हुई है। आज देश के सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया को संवेदित भावना के साथ अंगीकृत किये जाने के साथ ही सोशल मीडिया के प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया व लोकतंत्र के विषय में व्यापक जानकारियाँ जनमानस तक पहुँच रही हैं। आज विभिन्न सामाजिक संगठनए प्रभावशाली व्यक्तिए खिलाड़ीए अभिनेताए प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा सोशल मीडिया मंचों से जन जागरूकता के अभियान समय.समय पर चलाकर लोगों को लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति जानकारियाँ व ज्ञान अद्यतन करवाया जा रहा है।

चुनाव घोषणा.पत्रः. सोशल मीडिया मंचों के द्वारा सभी राजनैतिक दलों के द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा व वादों का दौर शुरू होता हैए जो पलक झपकते आम जनमानस तक पहुँच रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ.साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरलता व सुगमता से इंटरनेट व मोबाइल हैंडसेट आदि की उपलब्धता का विकास निरन्तर प्रक्रिया में हैए जिस कारण देश के प्रत्येक आयु वर्गए क्षेत्र वर्गए जाति वर्गए लिंग वर्ग में सूचना का आदान. प्रदान सरलता से हो रहा है। साथ ही विभिन्न संगठनों व बुद्धिजीवियों के विचारों व लेखों के माध्यमों से दलों की पृष्ठभूमि से लेकर विश्वसनीयता पुराने कार्यकाल के अनुभवों के आधार पर करना अब आसान हो गया है। आज सोशल मीडिया के कारण मतदाताओं के व्यवहारों पर परिवर्तन प्रक्रिया में है। लोग राजनेता के विषय में ज्ञान अद्यतन करके चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं।

प्रचार.प्रसारः. सोशल मीडिया मंच के द्वारा राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के मध्य आसानी से अपने विचारों व अवधारणाओं को सुगमता से पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। लोग घर बैठे देश.विदेश की जानकारियाँ प्राप्त कर रहेध्कर निर्णय करते हैं।

मतदाता व राजनेता के मध्य स्वस्थ्य संवादः. सोशल मीडिया प्लेटफार्म लोगों और जनप्रतिनिधियों को पास लाने में महत्वपूर्ण पुल की भूमिका निभा रहा है। पूर्व में संचार की बाधायें जो मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधियों के साथ स्वस्थ्य संवाद की अनुमति नहीं देती थीं। आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म के कारण अपनी बात लोग आसानी से पहुँचा रहे हैं।

- सोशल मीडिया मंचों के द्वारा राजनेता अपने समर्थकों तक बिना रूकावट के अपने विचारोंए कार्यों और योजनाओं के साथ आसानी से पहुँच रहे हैं। अपनी संलग्नताओं और पोस्टों के द्वारा जनता के मध्य एक स्वस्थ्य वार्तालाप व विचारों का आदान.प्रदान कर रहे हैं।

- सोशल मीडिया मंचों के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास में दूरी की बाधायें समाप्त हो रही हैंए जो सतत् समग्र विकास की परिकल्पना है।

- सोशल मीडिया के द्वारा भारत व विश्वस्तरीय राजनयिक सम्बन्धों को प्रभावित करके राजनयिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती को संबल मिल रहा है।

- आज हम निःसंकोच कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने आम जनमानस को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करने व उनकी क्षमता वृद्धि में व्यापक अभिवृद्धि की है।

विष्लेषणात्मक अध्ययनः. सोशल मीडिया प्लेटफार्म के द्वारा भारत के मतदाताओं के मध्य जनमत संग्रह के पारम्परिक विधियों के द्वारा कम समय व लागत से सर्वे व डाटा संकलन करके मतदाताओं के विचारोंए प्रयासों एवं आवश्यकताओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विश्लेषण करने का उत्कृष्ट माध्यम है। आज भारत में राजनीतिक दल व सरकारें ग्रास कट लेवल पर सर्वे व जानकारियों को आधार मानकर सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैंए जिनके आधार पर समग्र विकास की अवधारणा के अनुसार नीति निर्धारण और कार्ययोजना बनाने का कार्य किया जाना आसान हुआ है।

आज देश विकासशील की श्रेणी में अग्रसर हैए जिसमें सोशल मीडिया का विकास भी सतत् प्रक्रिया में है। इससे बहुत से लाभ हैंए परन्तु इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं।

सोशल मीडिया के प्रति बढ़ती अति सक्रियता के दुष्परिणामः. वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रयोग प्रत्येक आयु वर्ग समूह कर रहा हैए परन्तु युवा वर्ग अन्धाधुन्ध इसको इस्तेमाल करता जा रहा हैए जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जन्म हो रहा हैए जो राष्ट्र हित में संवेदित मुद्दा है।

राजनीतिक ध्रुवीकरणः. वैश्विक स्तर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज गति से हो रहा हैए जिससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव तब देखने को मिलता हैए जब मतदाताओं के बीच ऐसी चीजों को परोसा जाता हैए जो वे देखना पसन्द करते हैं या सहमत होते हैं।

- सोशल मीडिया के द्वारा राजनीतिक अभियानों द्वारा कभी.कभी सामाजिक व धार्मिक विवाद व तनाव पैदा हो जाता हैए जिसकी गति तीव्र होती है।
- सोशल मीडिया मंचों द्वारा राजनीतिक दल लोक लुभावन राजनीतिक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जिससे विपक्षी दलों के मध्य निगेटिव संभाषण को बल मिलता है जो दूरगामी समस्याओं को जन्म देती है और परिणाम भोले.भाले मतदाताओं को ही भुगतना पड़ता है।
- पिछले पाँच वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा हजारों करोड़ रूपये चुनावी विज्ञापनों पर खर्च कर डाले गयेए जो एक नकारात्मक समस्या को इंगित करता है।

- सोशल मीडिया द्वारा त्वरित अभियान चलाकर मतदाताओं के मानसिक स्तर को भ्रमित करने का कार्य भविष्य की चिन्ता किये बिना किया जाता रहा हैए जिससे मूल समस्याओं से ध्यान भटका कर वोटिंग की जाती हैए जिसका परिणाम घातक होता है और अयोग्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में जीत जाता है।

असमान भागीदारीः. सोशल मीडिया जनमत मतदाताओं की पूर्व धारणा को भी विकृत करता हैए जो स्वस्थ्य समाज के लिए घातक है।

राजनीतिक रणनीतिः. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा राजनीतिक दल व राजनेता आसानी से मतदाताओं की पसन्द व नापसन्द के बारे में सूचना प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और फिर उन्हें भ्रमित करके अपने पक्ष में ष्स्विंग वोटर्सष् को मतदान कराने हेतु दांव अजमाते हैं।

भ्रामक सूचनाः. सोशल मीडिया द्वारा झूठी खबरों को सच मानते हुए आम मतदाता साझा करता है।

दुष्प्रचारः. सोशल मीडिया मंच पर किसी व्यक्ति के जानने के बाद भी कि यह सच नहीं हैए जान.बूझ करके गुमराह करने के उद्देश्य से साझा किया जाता है।

विकृत सूचनाः. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी व्यक्तिए संगठन या देश को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से विकृत सूचना को जान.बूझ कर प्रसारित किया जाता है।

सोषल मीडिया को पारदर्षी बनानाः. आज देश में व्यापक स्तर पर दुष्प्रचार व निजता को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से निपटने के लिए योजनाबद्ध व प्रभावी समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिएए क्योंकि यह एक सर्वव्यापी राजनीतिक समस्या है।

अभिव्यक्ति की सीमायेंरू. सोशल मीडिया मंचों पर अभिव्यक्ति व्यवस्था को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए एवं नियंत्रित करने के लिए पारदर्शिता व विनियमन लाने की जरूरत है।

- कानून में उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिए सुरक्षा उपाय शामिल होना चाहिएए क्योंकि सोशल मीडिया मंच नागरिकों की निजी सूचनाओं का भण्डार रखते हैंए साथ ही मंच की जबावदेही तय की जानी चाहिए।
- सोशल मीडिया मंचों को उपयोगकर्ता को सूचित विकल्प उपलब्ध करवाना चाहिए कि वे किस फील्ड को चुनना चाहते हैं।

व्यक्तिगत डेटा उपयोग पर नियंत्रण नीतिः. सोशल मीडिया मंचों पर चुनावी अभियान के सन्दर्भ में व्यक्तिगत डाटा के उपयोग पर राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

सबके लिए समान अवसर की उपलब्धताः. राष्ट्र लोकतंत्र की वास्तविक भावना के अनुरूप सभी दलों के लिए समान अवसर की परिकल्पना रखता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सभी दलों को स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा का समान

अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्षः.

सोशल मीडिया ने हमारे राष्ट्र में लोगों को बेहतर सूचना आदान.प्रदान करने में सक्षम बनाया हैए लेकिन उनको भ्रमित करना भी आसान बना दिया है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया मंचों के उपयोग पर कठोर मापदण्डों की स्थापना करना समय की महती जरूरत हैए ताकि अल्पमत राजनीतिक अभियानों पर समान ध्यान आकृष्ट किया जा सके। भारत देश का निर्वाचन आयोग और इसकी आदर्श आचार संहिता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि एक दल को केवल इस आधार पर दूसरे दल की तुलना में अनुचित लाभ न प्राप्त हो पायेए क्योंकि वह दल सत्ता में है।

आज हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि आम मतदाता सोशल मीडिया को सही ढंग से सदुपयोग करके ज्ञानार्जन कर सके और ज्ञान को सकारात्मकता के साथ अपने आसपास के वातावरण में रचनात्मक ढंग से विस्तारित कर सके। इस व्यवस्था को दूरगामी व सशक्तीकरण करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हैए जिससे सोशल मीडिया की सुचिता व गरिमा बनी रहे। साथ ही सोशल मीडिया मंच पर सामाजिक भलाई के लिए अभियान चलानाए दुनिया से व्यापक सम्बन्ध जोड़नाए संचार व तकनीक कौशल विकसित करना एवं एक सकारात्मक डिजिटल फुटप्रिंट विकसित करके लोगों के मध्य प्रेमए सौहार्द एवं भाईचारे को संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठकर रिश्तों को मजबूत करने में महती भूमिका निभा सकता है।